अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर विस्तार लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्याः 29 /2022 दिनांकःसितम्बर 14 ,2022

सेवा में,

1–समस्त पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

2–जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3–समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

4–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

5–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।

6–समस्त सेनानायक पीएसी वाहिनी/एसडीआरएफ/वि0 परि0 सुरक्षा वाहिनी/एसएसएफ,उ0प्र0।

विषयः–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 (यथासंशोधित) के आलोक में विभागीय कार्यवाहियों का नियमानुसार निस्तारण/कियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने तथा दण्ड देने की प्रकिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 (यथासंशोधित) के माध्यम से निर्धारित की गयी है। इस नियमावली की व्यवस्था के अनुपालन हेतु समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु इसके बावजूद भी कतिपय अवसरों पर यह पाया गया है कि सम्बन्धित जांच अधिकारियों एवं नियुक्ति/अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उक्त नियमावली में वर्णित प्रकिया एवं रीति (Procedure and method) का सम्यक अनुपालन न किये जाने कारण विभागीय जांच एवं तदोपरान्त लिये गये निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के तथ्य मुख्यालय के संज्ञान में आये हैं।

2– उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 के नियमों में उल्लिखित व्यवस्था, विभागीय दण्ड/अपील/रिवीजन/रिव्यू के विषय में पुलिस महानिदेशक परिपत्र संख्याःडीजी–चार–120(15)/2017 दिनांकः 03–08–2017 में दिये गये निर्देशो का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसी प्रकार नियम 17(1) (क) निलम्बन में उल्लिखित प्राविधान, निर्गत परिपत्र संख्याः नौ–1135(निलम्बन/निर्देश)–2015 दिनांकः14–07–2015, शासनादेश दिनांकः 30–08–2018, परिपत्र संख्याःडीजी–चार–106(01)2018(निलम्बन) दिनांकः24–12–2018, शासनादेश दिनांकः 25–07–2021 एवं पत्र संख्याःनौ–विविध–72/2021 दिनांकः25–07–2021 एवं विभागीय कार्यवाही सम्पादन के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, कार्मिक अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्याः08/2022/725/सैंतालिस/का–1–2022/13(2)/2022 दिनांकः19–07–2022 एवं पत्र संख्याः 11/2022/सैंतालिस/का–1–2022/13(3)/2022 दिनांकः16–08–2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का भी सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

3– **उक्त के अतिरिक्त जनपद/इकाई स्तर पर प्रारम्भिक जांच एवं विभागीय कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शक बिन्दुओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाये :–**

1. जिस अधिकारी द्वारा उस प्रकरण की आख्या, जिसके आधार पर प्रारम्भिक जांच आदेशित की गयी है, प्रेषित की गई हो, उस अधिकारी को साधारणतयः जांचकर्ता अधिकारी नामित नहीं किया जाना चाहिए ।
2. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में सम्पादित की जाने वाली जांच में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन सदैव किया जाए। विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत आरोपित कर्मी को बचाव का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए उसे (प्रारम्भिक जांच स्तर पर एवं कारण बताओ नोटिस स्तर पर) दोनों स्तरों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। आरोपित पुलिस कर्मी को इसके लिए अलग से पत्र निर्गत/प्राप्त कराना चाहिए।
3. यदि आरोपित अधिकारी/कर्मचारी बार–बार सूचित होने के उपरान्त भी बयान देने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो उसे बयान हेतु कितनी बार, कब–कब पत्र निर्गत किया गया, वह सूचित हुआ अथवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख प्रारम्भिक जांच में होना चाहिए, ताकि आरोपित के बिना बयान लिए की गई, कार्यवाही की औचित्यपूर्ण प्रमाणित किया जा सके ।
4. कतिपय प्रकरणों में जांच अधिकारियों/कर्मचारियों को बयान हेतु आहूत कर दिया जाता है तथा आरोपित अधिकारी/कर्मचारी चस्पा नोटिस का संज्ञान लेकर बयान के लिए स्वयं उपस्थित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आरोपित अधिकारी/कर्मचारी को बयान हेतु अलग से नोटिस न देकर बिना उसका बयान दर्ज किए प्रारम्भिक जांच में दोषी घोषित किया जाता है एवं तत्पश्चात् विभागीय नियमों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत कर दिया जाता है, जो सर्वथा अनुचित है यह आवश्यक है, कि प्रारम्भिक जांच में जिस अधिकारी/कर्मचारी के आचरण के सन्दर्भ में प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आ रहे हों, उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अलग से पत्र द्वारा समय/तिथि निर्धारित करते हुए बयान देने हेतु सूचित किया जाए ।
5. केवल आरोपित अधिकारी/कर्मचारी का बयान लेकर ही प्रारम्भिक जांच कदापि पूर्ण न की जाए। ऐसी स्थिति से बचा जाये और आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के साथ–साथ अन्य सुसंगत महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान भी अभिलिखित लिये जायें ।
6. यदि प्रारम्भिक जांच में किसी मोबाईल वार्ता/सीडीआर अथवा और किसी स्थान विशेष का उल्लेख हो तो यथा सम्भव सीडीआर का अवलोकन/विश्लेषण के सन्दर्भ का उल्लेख प्रारम्भिक जांच में अवश्य किया जाये।
7. यदि प्रकरण विवेचानात्मक त्रुटि से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित अभियोग दैनिकियों, का मय तिथि एवं क्षेत्राधिकारी कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि का उल्लेख प्रारम्भिक जांच में अवश्य होना चाहिए यदि प्रकरण का सम्बन्ध अभियोग दैनिकियों को विलम्ब से प्रेषित करने से हो तो जांच आख्या में थाना कार्यालय एवं क्षेत्राधिकारी पेशी कार्यालय के मध्य अभियोग दैनिकियों के आदान–प्रदान एवं प्राप्ति की क्या व्यवस्था है तथा पेशी कार्यालय में प्राप्ति की तिथि क्या थी, का उल्लेख अवश्य किया जाये। विवेचक द्वारा अभियोग दैनिकी थाना कार्यालय में कब एवं किसे प्राप्त करायी गयी, का भी स्पष्ट उल्लेख जांच आख्या में होना चाहिए।

8. यदि रोजनामचाआम मे किसी अभियोग विशेष से सम्बन्धित रिपोर्ट अंकित की जाती है, तो उसकी पुष्टि हेतु सम्बन्धित विवेचक की लिखित रिपोर्ट/सहमति के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्प्यूटर ऑपरेटर का भी बयान लिया जाये।
9. यदि कोई जांच मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की जा रही है, तो उसके सम्बन्ध में टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित साक्षियों के बयान अवश्य लिए जाये।
10. यदि प्रकरण किसी ऐसी विवेचना/जांच प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित है, जिसमें किसी व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है तो विवेचना के अन्तर्गत चिकित्सीय परीक्षण होने की तिथि एवं जांच अधिकारी/विवेचक द्वारा चिकित्सीय प्रपत्र चिकित्सक से प्राप्त करने की तिथि अवश्य अंकित की जाये।
11. कारण बताओ नोटिस के साथ प्रारम्भिक जांच आख्या की प्रति अवश्य आरोपित अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करायी जाये।
12. प्रारम्भिक जांच में जिस आरोप का दोष पाया गया हो, केवल उसी का उल्लेख कारण बताओ नोटिस एवं दण्डादेश में होना चाहिए। दण्डादेश में प्रारम्भिक जांच अधिकारी का उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। केवल आरोप, जिसके क्रम में दण्ड दिया गया हो, का ही उल्लेख किया जाये।
13. दण्डादेश में सम्बन्धित दण्डित अधिकारी/कर्मचारी के पीएनओ का अवश्य उल्लेख किया जाये, ताकि बाद में दो अधिकारियों/कर्मियों का एक जैसा नाम होने पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।
14. दण्डादेश निर्गत करते समय दण्डाधिकारी द्वारा आरोपित अधिकारी/कर्मचारी के स्पष्टीकरण में उल्लिखित सभी तर्कों/बिन्दुओं पर टिप्पणी करते हुए मुखरित एवं स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल यह लिखकर इतिपूर्ति न की जाये कि आरोपित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तर्क बलहीन/मान्य नहीं है आदि।
15. यदि आरोपित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण देते समय कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर जांच करायी जानी आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में पुनः जांच कराने के उपरान्त आरोपित पुलिस कर्मी को पुनः नया कारण बताओ नोटिस (चाहे वह पूर्व में निर्गत कारण बताओ नोटिस मे उल्लिखित आरोप के समान ही हो तब भी) निर्गत किया जाना चाहिए।
16. कारण बताओ नोटिस एवं दण्डादेश की प्राप्ति किस्मदोयम न करायी जाये, सदैव बजातखास करायी जाये यदि पुलिस कर्मी द्वारा नोटिस/दण्डादेश लेने से इंकार किया जाता है अथवा बार बार सम्पर्क करने पर भी नहीं मिलता है, तो स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में उस नोटिस को उसके निवास स्थान पर चस्पा किया जाए। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 के नियम–16 का भी भली–भांति परिशीलन कर लिया जाये ।

17. अधिकारी/कर्मचारी को प्रारम्भिक जांच में लिए गए निर्णयानुसार उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 के अन्तर्गत लघु अथवा दीर्घ दण्ड से सम्बन्धित कारण बताओ नोटिस निर्गत किया जाता है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त या तो सम्बन्धित कर्मी को दोषमुक्त किया जाये या जिस प्रस्तावित दण्ड का कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, उसकी पुष्टि करते हुए दण्डित किया जाये। कारण बताओ नोटिस निर्गत होने के बाद सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को दोषी पाये जाने के बाद भी चेतावनी अथवा प्रस्तावित दण्ड से कम दण्ड देने का कोई प्राविधान नियमावली में नहीं है। अतः तद्नुसार तथ्यों के दृष्टिगत विभागीय कार्यवाही को या तो निरस्त किया जाये या तो प्रस्तावित दण्ड की पुष्टि करते हुए दण्डादेश पारित किया जाये।
18. यदि कोई विभागीय कार्यवाही नियमावली–1991 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप अपील/रिवीजन स्तर पर पुर्नजीवित की जाती है, तो किस स्तर से कार्यवाही प्रारम्भ की जानी है इसका स्पष्ट उल्लेख अपीलीय/पुनरावेदन आदेश में होना चाहिए।
19. यदि जांचोपरान्त किसी प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जाता है तो सम्बन्धित प्रकरण में कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही विभाग की छवि धूमिल होने इत्यादि परिलक्षित होने पर इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि विभागीय कार्यवाही में दिए गए आरोप व अपराध के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग के आरोप किसी भी दशा में पूर्णतयः एक समान न हो।
20. सामान्यतया लघु शास्तियां के नियम 14(2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही में 01 माह एवं दीर्घ शास्तियां के नियम 14(1) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही में 02 माह से अधिक समय नहीं लगना चाहिये। अनुशासनिक प्राधिकारी इसकी नियमित समीक्षा करते रहें और शिथिल पीठासीन अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन के समय इसे ध्यान में रखा जाये।
21. प्रारम्भिक जांचों एवं विभागीय कार्यवाही के निस्तारण के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप 01 व 02 में सूचना प्रतिमाह प्राप्त की जाये एवं प्राप्त सूचना के अनुसार परिक्षेत्र एवं जोनल स्तर/कमिश्नरेट स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में समीक्षा की जाये।

4– अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि विभागीय कार्यवाहियों का तत्परता, वस्तुपरकता, समानता एवं निष्पक्षता पूर्वक निस्तारण पुलिस विभाग जैसे अनुशासनिक विभाग में अत्यन्त आवश्यक है। विभागीय कार्यवाही की समस्त प्रकिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित की जाये। अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक इसका लगातार अनुश्रवण करते रहें। ये अधिकारी अपने भ्रमण/निरीक्षण के समय इसे देखा करें। प्रारम्भिक जांच एवं विभागीय कार्यवाही का तत्परतापूर्वक निस्तारण एवं इसकी गुणवत्ता अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण भाग होगी।

संलग्नकः–यथोपरि।(प्रारूप)

Devendra

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश। 14/9/2021

प्रतिलिपिः– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनाक ....से .... तक अद्यतन स्थिति का विवरण

जनपद	दिनाक..... ..... को लम्बित प्रारम्भिक जांच	दिनाक..... ..... तक बढी प्रारम्भिक जांच	कुल प्रारम्भिक जांच(दिनाक: .... तक)	दिनाक .... तक निस्तारित प्रा0 जांच	प्रारम्भिक जांच निस्तारण की कार्यवाही							एसएसपी/एसपी द्वारा कृत कार्यवाही				टिप्पणी
					प्रारम्भिक जांचोपरान्त जांच अधिकारी द्वारा दोषी न पाये गये प्रकरणो की सख्या			प्रारम्भिक जांचोपरान्त जांच अधि0 द्वारा दोषी पाया गया				14(1) की कार्यवाही		14(2) की कार्यवाही		
					ऐसे प्रकरणो पर एसएसपी/एसपी द्वारा दोषमुक्त किये गये प्रकरणो की सख्या	ऐसे प्रकरणो पर एसएसपी/एसपी द्वारा 14(1) या 14(2) या अन्य कोई दण्ड देकर की गयी कार्यवाही की संख्या	शेष	एसएसपी/एसपी द्वारा दोषमुक्त अन्य कोई दण्ड देकर जांच निस्तारित की गयी।	एसएसपी/एसपी द्वारा 14(1) की कार्यवाही संस्थित की गयी।	एसएसपी/एसपी द्वारा 14(2) की कार्यवाही संस्थित की गयी।	अनिस्तारित/लम्बित	दोषारोपित कर दण्डित किया गया	दोषमुक्त किया गया	दोषारोपित कर दण्डित किया गया	दोषमुक्त किया गया	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

निस्तारित प्रारम्भिक जांचो पर लिये गये निर्णय का विवरण					
जनपद	दिनांक .... तक निस्तारित प्रारम्भिक जांच	दिनांक .....तक निस्तारित/निर्णय हेतु एसएसपी /एसपी के समक्ष प्रस्तुत प्रा0 जांच	प्रस्तुत प्रारम्भिक जांच में हुई कार्यवाही का विवरण		
			दण्डित	दोषमुक्त	लम्बित प्रा0 जांच (जिसमें निर्णय नही लिया गया है)
1	2	3	4	5	6